

कार्यालय परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड,
कुल्हान, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून।

संख्या-1049/अधिष्ठान/दो-29/2019

दिनांक 15 नवम्बर, 2019

कार्यालय ज्ञाप/स्थानान्तरण आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-16(1) के अन्तर्गत गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा की गई संस्तुतियों एवं शासनादेश 530/IX-1/34(2018)/2019 दिनांक 11-11-2019 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन निम्नलिखित प्रधान सहायक को उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये नवीन तैनाती स्थल पर स्थानान्तरित करते हुये तैनात किया जाता है:-

क्र०सं०	कार्मिक का नाम	वर्तमान तैनाती स्थल	नवीन तैनाती स्थल
1	श्री नीरज चौहान	सम्भागीय परिवहन कार्यालय, हल्द्वानी	सम्भागीय परिवहन कार्यालय, अल्मोड़ा

2- सम्बन्धित नियंत्रक प्राधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे अधिनियम की धारा-22(1) में उल्लिखित व्यवस्थानुसार एक सप्ताह के भीतर सम्बन्धित कार्मिक को उनके नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।

3- उक्त कार्मिकों का स्थानान्तरण अधिनियम की धारा-17(1)(क) में विहित व्यवस्थानुसार किया जा रहा है।

(अरविन्द सिंह हयाँकी)
परिवहन आयुक्त।

संख्या (1) / सम्दिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- अपर मुख्य सचिव, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 2- सचिव, परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 3- सम्भागीय परिवहन अधिकारी, हल्द्वानी/अल्मोड़ा।
- 4- वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, हल्द्वानी को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे स्थानान्तरण अधिनियम की धारा-22(1) में विहित व्यवस्थानुसार इस आदेश के जारी होने के 07 दिन के पश्चात सम्बन्धित कार्मिक का वेतन आहरित न करें।
- 5- वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, अल्मोड़ा।
- 6- सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, हल्द्वानी/अल्मोड़ा।
- 7- सम्बन्धित आहरण-वितरण अधिकारी।
- 8- लेखाकार, मुख्यालय।
- 9- सम्बन्धित कार्मिक।
- 10- अधिष्ठान पत्रावली।
- 11- गार्ड फाईल।

(अरविन्द सिंह हयाँकी)
परिवहन आयुक्त।

कार्यालय परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड,
कुल्हान, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून।

संख्या- 1050/अधिष्ठान/दो-29/2019

दिनांक 15 नवम्बर, 2019

कार्यालय ज्ञाप/स्थानान्तरण आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-16(1) के अन्तर्गत गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा की गई संस्तुतियों एवं शासनादेश 530/IX-1/34(2018)/2019 दिनांक 11-11-2019 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन निम्नलिखित वरिष्ठ सहायकों को उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये नवीन तैनाती स्थल पर स्थानान्तरित करते हुये तैनात किया जाता है:-

क्र०सं०	कार्मिक का नाम	वर्तमान तैनाती स्थल	नवीन तैनाती स्थल	धारा
1	श्री संजय पुण्डरीर	परिवहन कर संग्रह केन्द्र, नारसन	उपसम्भागीय परिवहन कार्यालय, उत्तरकाशी	17(1)(क)
2	श्री अजय नौडियाल	उपसम्भागीय परिवहन कार्यालय, कोटद्वार	उपसम्भागीय परिवहन कार्यालय, कर्णप्रयाग	17(1)(क)
3	श्री मनीष पुरोहित	उपसम्भागीय परिवहन कार्यालय, कोटद्वार	उपसम्भागीय परिवहन कार्यालय, टिहरी	17(1)(क)
4	श्री मनोज सिंह रावत	उपसम्भागीय परिवहन कार्यालय, कोटद्वार	उपसम्भागीय परिवहन कार्यालय, कर्णप्रयाग	17(1)(क)
5	श्री अमित कुमार गुप्ता	परिवहन कर संग्रह केन्द्र, आशारोड़ी	उपसम्भागीय परिवहन कार्यालय, टिहरी	17(1)(क)
6	श्री भूपेन्द्र	सम्भागीय परिवहन कार्यालय, पौड़ी	सम्भागीय परिवहन कार्यालय, देहरादून	17(1)(ग)

2- सम्बन्धित नियंत्रक प्राधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अधिनियम की धारा-22(1) में उल्लिखित व्यवस्थानुसार एक सप्ताह के भीतर सम्बन्धित कार्मिकों को उनके नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।

(अरविन्द सिंह ह्याँकी)
परिवहन आयुक्त।

संख्या- (1)/सम्दिनांकित।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- अपर मुख्य सचिव, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 2- सचिव, परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 3- सम्भागीय परिवहन अधिकारी, देहरादून/पौड़ी/हल्द्वानी।
- 4- वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, रुड़की/देहरादून/पौड़ी/काशीपुर/कोटद्वार/हरिद्वार को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे स्थानान्तरण अधिनियम की धारा-22(1) में विहित व्यवस्थानुसार इस आदेश के जारी होने के 07 दिन के पश्चात सम्बन्धित कार्मिक का वेतन आहरित न करें।

- 5- वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, टिहरी/उत्तरकाशी/कर्णप्रयाग/देहरादून/रूड़की।
- 6- सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, टिहरी/उत्तरकाशी/रूड़की/देहरादून/पौड़ी/काशीपुर/कोटद्वार।
- 7- सम्बन्धित आहरण-वितरण अधिकारी।
- 8- सम्बन्धित कार्मिक।
- 9- अधिष्ठान पत्रावली।
- 10- गार्ड फाईल।

(अरविन्द सिंह हयाँकी)
परिवहन आयुक्त।

कार्यालय परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड,
कुल्हान, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून।

संख्या- 1051/अधिष्ठान/दो-29/2019

दिनांक 15 नवम्बर, 2019

कार्यालय ज्ञाप/स्थानान्तरण आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-16(1) के अन्तर्गत गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा की गई संस्तुतियों एवं शासनादेश 530/IX-1/34(2018)/2019 दिनांक 11-11-2019 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन निम्नलिखित कनिष्ठ सहायकों को उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये नवीन तैनाती स्थल पर स्थानान्तरित करते हुये तैनात किया जाता है:-

क्र०सं०	कार्मिक का नाम	वर्तमान तैनाती स्थल	नवीन तैनाती स्थल	धारा
1	श्री राकेश गंगोला	सम्भागीय परिवहन कार्यालय, हल्द्वानी	सम्भागीय परिवहन कार्यालय, अल्मोड़ा	17(1)(क)
2	श्री वसीम अहमद	सम्भागीय परिवहन कार्यालय, अल्मोड़ा	परिवहन कर संग्रह केन्द्र, रुद्रपुर	17(1)(ग)

2- सम्बन्धित नियंत्रक प्राधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अधिनियम की धारा-22(1) में उल्लिखित व्यवस्थानुसार एक सप्ताह के भीतर सम्बन्धित कार्मिकों को उनके नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।

(अरविन्द सिंह ह्याँकी)
परिवहन आयुक्त।

संख्या- (1) / समदिनांकित।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- अपर मुख्य सचिव, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 2- सचिव, परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 3- सम्भागीय परिवहन अधिकारी, देहरादून/पौड़ी/हल्द्वानी/अल्मोड़ा।
- 4- वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, हल्द्वानी/अल्मोड़ा को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे स्थानान्तरण अधिनियम की धारा-22(1) में विहित व्यवस्थानुसार इस आदेश के जारी होने के 07 दिन के पश्चात सम्बन्धित कार्मिक का वेतन आहरित न करें।
- 5- वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उधमसिंहनगर/अल्मोड़ा।
- 6- सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, हल्द्वानी/अल्मोड़ा/उधमसिंहनगर/पौड़ी/रुड़की।
- 7- सम्बन्धित आहरण-वितरण अधिकारी।
- 8- सम्बन्धित कार्मिक।
- 9- अधिष्ठान पत्रावली।
- 10- गार्ड फाईल।

(अरविन्द सिंह ह्याँकी)
परिवहन आयुक्त।

कार्यालय परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड,
कुल्हान, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून।

संख्या- 1052/अधिष्ठान/दो-29/2019

दिनांक 15 नवम्बर, 2019

कार्यालय ज्ञाप/स्थानान्तरण आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-16(1) के अन्तर्गत गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा की गई संस्तुतियों एवं शासनादेश 530/IX-1/34(2018)/2019 दिनांक 11-11-2019 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन निम्नलिखित प्रवर्तन सिपाहियों को उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये नवीन तैनाती स्थल पर स्थानान्तरित करते हुये तैनात किया जाता है:-

क्र०सं०	कार्मिक का नाम	वर्तमान तैनाती स्थल	नवीन तैनाती स्थल	धारा
1	श्री रणवीर सिंह	उपसम्भागीय परिवहन कार्यालय, हरिद्वार	उपसम्भागीय परिवहन कार्यालय, टिहरी	17(1)(क)
2	श्री अश्विनी कुमार	उपसम्भागीय परिवहन कार्यालय, हरिद्वार	प्रवर्तन दल, कोटद्वार	17(1)(क)
3	श्री सन्दीप कुमार	परिवहन कर संग्रह केन्द्र, कौड़िया	उपसम्भागीय परिवहन कार्यालय, उत्तरकाशी	17(1)(क)
4	श्री तिरूमल सिंह	परिवहन कर संग्रह केन्द्र, पुलभट्टा	प्रवर्तन दल, रामनगर	17(1)(क)
5	श्री भूपेन्द्र कुमार	परिवहन कर संग्रह केन्द्र, नारसन	उपसम्भागीय परिवहन कार्यालय, उत्तरकाशी	17(1)(क)
6	श्री सुशील कुमार	परिवहन कर संग्रह केन्द्र, कुल्हाल	परिवहन कर संग्रह केन्द्र, कौड़िया	17(1)(ख)
7	श्री भगत सिंह	प्रवर्तन दल, कोटद्वार	उपसम्भागीय परिवहन कार्यालय, हरिद्वार	17(1)(ग)
8	श्री देवेन्द्र गिरी	उपसम्भागीय परिवहन कार्यालय, बागेश्वर	परिवहन कर संग्रह केन्द्र, पुलभट्टा	17(1)(ग)

2- सम्बन्धित नियंत्रक प्राधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अधिनियम की धारा-22(1) में उल्लिखित व्यवस्थानुसार एक सप्ताह के भीतर सम्बन्धित कार्मिकों को उनके नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।

3- क्रमांक 06 पर अंकित कार्मिक का स्थानान्तरण उनके निजी अनुरोध पर किया जा रहा है। अतः उन्हें कोई भी स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

(अरविन्द सिंह हयाँकी)
परिवहन आयुक्त।

संख्या- (1)/सम्दिनांकित।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- अपर मुख्य सचिव, कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 2- सचिव, परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 3- सम्भागीय परिवहन अधिकारी, देहरादून/पौड़ी/हल्द्वानी/अल्मोड़ा।

- 4- वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, हरिद्वार/कोटद्वार/टिहरी/उत्तरकाशी/हल्द्वानी/उधमसिंहनगर।
- 5- वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, हरिद्वार/रुड़की/कोटद्वार/उधमसिंहनगर/बागेश्वर/ऋषिकेश को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे स्थानान्तरण अधिनियम की धारा-22(1) में विहित व्यवस्थानुसार इस आदेश के जारी होने के 07 दिन के पश्चात सम्बन्धित कार्मिक का वेतन आहरित न करें।
- 6- सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, हरिद्वार/रुड़की/कोटद्वार/टिहरी/उत्तरकाशी/ऋषिकेश/विकासनगर/रामनगर/उधमसिंहनगर/हल्द्वानी/बागेश्वर।
- 7- सम्बन्धित आहरण-वितरण अधिकारी।
- 8- लेखाकार, मुख्यालय।
- 9- सम्बन्धित कार्मिक।
- 10- अधिष्ठान पत्रावली।
- 11- गार्ड फाईल।

(अरविन्द सिंह हयाँकी)
परिवहन आयुक्त।